(21)

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2004 निगरानी R-1648-I/2004

श्री ए.आर. यादव अभिभाषक
द्वारा 10.12.04 को उपस्थित
पेश कर प्रस्तुत।
10/12/04

CF 22/12-04
उपस्थित
22/12/04

गायत्री कन्सट्रक्शन कम्पनी,
द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर -लालजीभाई -
द्वारा मुख्तारआम - गुलाम यजदानी पिता हाफिज
गुलाम मोइउद्दीन निवासी जावरा ----आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ----------अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भु० राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक २/२००४-२००५ अपील मे पारित आदेश दिनांक ३-१२-२००४ से असन्तुष्ट एवम दु:खित होकर निम्नलिखित कारणो के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

१:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालयका आदेश जेर निगरानी विधि एवम विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

२:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा धारा ३५/४/ भु० राजस्वसंहिता के अन्तर्गत अपील अग्राह्य करने मे महान वैधानिक त्रुटि की है।

३:- यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदक ने एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने बाबत धारा ३५/३/ मे आवेदन साथ ही धारा ३२ के अन्तर्गत भी आवेदन दिया था जिसे एस०डी० ओ० अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया परन्तु उसके विरुद्ध दायर अपील को बिना रिकार्ड बुलाए प्राथमिक रूप से ही प्रकरण को समझे बगैर अग्राह्य करने मे महान वैधानिक त्रुटि की है।

४:- यह कि विधि की मंशा के अनुसार प्रथम अपील पक्षकार का अधिकार

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1648/I/2004 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 2/2004-05/अपील में पारित आदेश दिनांक 3-12-04 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-10-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	